155/019

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FC 463978

सूर्यनरायन-राधिका देवी सामाजिक सेवा ट्रस्ट

मु०- सिधारी पश्चिमी पोस्ट,तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़,उ०प्र०,भारत वर्ष ।

यह न्यास विलेख आज दिनॉक ३०-११-२०१६ को तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़ में श्री सत्य प्रकाश तिवारी उम्र तख० ५६ पुत्र स्व० सूर्यनरायन तिवारी मु०-सिधारी पश्चिमी पोस्ट,तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़,उ०प्र० के द्वारा घोषित किया गया है, जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा, क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक के पास रूपया १०,०००/- मात्र की राशि है । जिसे पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं । न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अग्रिम न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करेगा ।

ट्रस्ट का न्यासकर्ता ही मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जिसे आगे ट्रस्ट का प्रबन्धक कहा जायेगा । न्यासकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक की यह भी इच्छा है कि वह अपने विभिन्न श्रोतों से दान, अनुदान, उपहार, डोनेशन,ऋण, चन्दा, आदि के द्वारा ट्रस्ट का कोष सम्पदा एवं साधन को और बढ़ाया जा सके । ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके, और न्यासकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रूपया १०,०००/- नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है ।

क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम,पोस्ट- सिधारी तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़,उ०प्र० है, अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा । क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्देश्य निम्न प्रकार धारा बद्ध घोषित किया जाता है ।

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट १८८२ के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 197765

ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :-

१: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व-प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों ,कान्वेण्ट,विद्यालयों,बालश्रमिक विद्यालयों,आश्रम पद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, हरिजन विद्यालयों,अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू/अरबी/फारसी,हिन्दी, तेलगू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों,विकलॉग विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों,ऑगन बाड़ी,बाल बाड़ी, पुष्टाहार योजनाओं, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों, किसान महाविद्यालयों, चरवाहा विद्यालयों ,बालिका विद्यालयों/महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन सम्पूर्ण भारत वर्ष सहित सम्पूर्ण विश्व में करने का प्रयास करना ।

२: नि:शुल्क पुस्तकालयों,वाचनालयों, क्रीड़ास्थलों,छात्रावासों,अनाथालयों, बृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों,नारी निकेतनों, बालसंरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों ,संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं,आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

३: बाल श्रमिकों का चिन्हींकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बंधुऑ मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 197766

४: विकलॉगों को नि:शुल्क कृत्रिमअंग,भोजन,आवास,शिक्षा,वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिमअंगों का क्रय व वितरण करना । तथा विकलॉग जन अधिनियम (सहभागिता,संरक्षण एवं अधिकार) १९९५ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना ।

५: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत, कम्प्यूटर हार्ड वेयर,कम्प्यूटर साफ्ट वेयर,इण्टरनेट,साइबर कैफे,सिलाई,कढ़ाई,कटाई,कताई,बुनाई,तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला,कम्प्यूटर,टंकण,आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स,पेटिंग, जरीकढ़ाई, चिकनकढ़ाई, कालीनबुनाई,दरी बुनाई ,संगीत,नाट्य वाद्य कला,नृत्य, मोटर ट्रेनिंग कालेजों ,कृषि अनुसंधान केन्द्रों ,ब्यूटीपार्लरों,फोटोग्राफी,ए.सी.,रेफ्रिजरेशन, फैशन डिजाइनर,एक्स-रे,टेक्नीशियन,लैब,पैथालोजिस्ट,मोबाइल रिपेयरिंग, मासकम्युनिकेशन, साफ्टट्वायज,नृत्यथियेटर,मॉडलिंग, कुकिंग ट्रेनिंग, हेल्थ केयर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एण्ड रिसर्च ट्रेनिंग, प्रेस रिर्पोटर,प्रेस ट्रेनिंग,होटल मैनेजमेन्ट एण्ड आफिस मैनेजमेन्ट,विजनेस डेवलपमेन्ट, ट्रेनिंग पेटिंग,आई०टी० आई०, बाम्बे आर्ट,पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

६: जनविकास हेतु विचारगोष्ठियों,प्रवचन सभाओं,अध्ययन शिविरों,स्मृति दिवसों तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं संचालन करना, तथा धर्माथ चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 197767

७: नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना ।

८: गरीब,हरिजन,विकलाँग,मेधावी,निराश्रित,असहाय,मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों बाल श्रमिको को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामाग्री प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना ।

९: पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा बृक्षारोपण करना । प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानों,पशु अस्पतालों ,प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१०: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,यूनीसेफ,डब्लू०एच०ओ० ,सिडवी, अवार्ड,कपार्ट,नाबार्ड नोराड ,डूडा ,सूडा, डॉवाकरा अम्बेडकर ग्राम,समग्र ग्राम,स्वर्ण जयन्ती, स्वरोजगार,स्वजल धारा,सिप्सा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना ।

११: बालक/बालिकाओ,कलाकारो,के शारीरिक ,बौद्धिक ,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों,सेमीनारों ,गोष्ठियों, प्रदर्शनियो आदि का आयोजन,संचालन करना सफल बालक/बालिकाओ, कलाकारो को पुरस्कृत करना

१२: भारत सरकार,प्रदेशसरकार,जिला ,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन-विकास हेतु विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 197768

१३: वाटरशेड व जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेण्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

१४: मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों,टीकाकरण शिविरों,पल्सपोलियो शिविरों,हेपेटाइटिस शिविरों,दवाखानों,चैरिटेबुल अस्पतालों,एड्स,अपंगता,कुष्ठ,अंधता निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

१५: कुटीर उद्योग को बढावा देने हेतु मोमबत्ती,अगरबत्ती,दियासलाई,वाशिंगपाउडर, ब्लीचिंगपाउडर, साबुन,अचार,मुरब्बा,चिप्स, चाकलेट,नमकीन,विस्कुट,नील,चाय,कागज की कप,प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१६: समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज,बाल विवाह,नशा,शराब,गॉजा,अफीम, भॉग,तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१७: गॉवों का विकास करना तथा गॉवों में निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,सफाई,पेयजल, तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना, तथा स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में लाने हेतु १०० प्रतिशत मतदान कराना व भारत के हर नागरिक को पहचान पत्र दिलाने का प्रयास करना, तथा भारत को स्वच्छ एवं शक्तिशाली देश बनाना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 197769

१८: गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ०सी०आर०ए०, ३५ ए० सी०, ३५ ए० सी० १ व २ की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा इसके अर्न्तगत इण्टरनेशनल गेटवे एकाउन्ट संचालित करने का प्रयास करना एवं भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित/परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना

१९: कस्तूरबा गॉधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अर्न्तगत आने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना ।

२०: युवाओं की मॉगों को सरकार तक सद्भाव पूर्वक पहुँचाने का प्रयास करना तथा युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना ।

२१: दैवीय आपदा यथा बाढ़,सुखा,भूकम्प,महामारी,ओलावृष्टि,तूफान, आदि के समय लोगो की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को नि:शुल्क भोजन,दवा-इलाज, आवास,वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना ।

२२: वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतों एवं साधनों का विकास करना,उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना,देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा इसके प्रचार-प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय,भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान,उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन विभागीय अनुमति से करना, तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु प्रचार-प्रसार करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 197770

२३: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना ।

२४: स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अर्न्तगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना ।

२५: स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जॉच व परीक्षण कराना एवं समय-समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना ।

२६: युवक व युवतियों में समाज सेवा देश सेवा,ग्राम सेवा,सदाचार ,कर्तब्य सहायता,सद्भाव आत्म विश्वास व स्वावलम्बन तथा भाईचारे की भावना जागृत करने का प्रयास करना

२७: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत चल रहें मलेरिया, एड्स, कैंसर, टी०बी०,चेचक, आदि के उन्मूलन एवं नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना ।

२८: सरकार द्वारा चलाये जा रहें न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना, तथा विश्व में भारत की पहचान बनाना एवं भारत को विश्वगुरू बनाने का प्रयास करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -८- BY 197771

२९: स्वास्थ्य, राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा यूनानी, आयुर्वैदिक,एलोपैथिक, होम्योपैथिक,प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगा आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना, तथा इस निमित्त विद्यालयों/महाविद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करना ।

३०: गॉवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों,जनजागरूकता कार्यक्रमों,प्रर्दशनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,पेयजल सफाई आदि की व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना ।

३१: औषधि कार्यो के लिए जड़ी बूटियों का उत्पादन व संग्रह करना, आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना तथा उनके गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताना तथा जल संरक्षण,जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

३२: गरीब असहाय,निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक-पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ,टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना

३३: कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकीयंत्रों, खादों,बीजों, कीटनाशक दवाओं उसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

३४: औषधीय पौधो जैसे एलवोवेरा, अश्वगंधा, हल्दी, शतावरी,सागौन का पौधा, रतन जोत पौधा, सफेद मुसली आदि की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा किसानों को इसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवं औषधीय कृषि को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 197772

३५: जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना ,तथा जीव -जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना ।

३६: युवक/युवतियों के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना, तथा आध्यात्मिक व व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना ।

३७: जेटोफर के बीजों का किसानों को उचित मूल्य दिलवाने एवं उसका क्रय-विक्रय करने का प्रयास करना, तथा ट्रस्ट के विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।

३८: भारत व विश्व में योग के माध्यम से संयम एवं सदाचार का भाव जागृत करने का प्रयास करना, तथा समाज में फैले भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना ।

३९: स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना तथा स्वदेशी खान-पान, रहन-सहन, दवा-इलाज, कपड़ा व स्वदेशी शिष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करना

४०: कृषि क्षेत्र में लोगों को स्वदेशी जैविक खादों को प्रयोग में लाने की सलाह देना तथा स्वदेशी जैविक खादों के निर्माण की विधि को लोगों बताना व स्वदेशी जैविक खाद को बनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना ।

४१: कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा नये कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 197773

४२: यूनानी,आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधों व वृक्षों का रोपण करना व करवाना एवं उनकी देख-रेख करना तथा उनके प्रभाव के बारे में लोगों को बताना तथा इनसे होने वाले लाभ का प्रचार-प्रसार करना तथा जगह -जगह नि:शुल्क यूनानी,आयुर्वेदिक चिकित्सालयों,शिविरों ,दवाखानों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

४३: संस्था विकास हेतु आयकर अधिनियम की धारा १२ (ए) एवं ८० जी (५) की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना ।

४४: भविष्य में प्राप्त ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति की देख-भाल व सुरक्षा करना, तथा उसकी बाउन्ड्री वाल तैयार कराने का प्रयास करना ।

४५: पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा पर्यटन स्थलों की देख-भाल व सुरक्षा करने का प्रयास करना, तथा देश-विदेश से आये आगन्तुकों के लिए विश्रामकक्षों,भोजन, दवा-इलाज वस्त्रादि का प्रबन्ध करने का प्रयास करना ।

४६: हरितक्रान्ति योजना को सफल बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

४७: ग्रामीण कृषकों के समस्याओं को हल कराने का प्रयास करना तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कृषि योजनाओं को ग्रामणी कृषको को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 197774

४८: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत ओल्ड एज होम की स्थापना करना,जिसके अन्तर्गत बृद्ध पुरूष, महिला जो असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख-रेख चिकित्सा व उनके पुनर्वासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए कार्य करना ।

४९: कृषि बाड़ा से होने वाली सुरक्षा के बारे में किसानों को अवगत कराने का प्रयास करना

५०: किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था किसी राष्ट्रीय बैंक से ऋण,अनुदान आदि प्राप्त करना या किसी भी राजनेता यथा सांसद, विधायक,मंत्री,राज्यमंत्री ,राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विदेशी सरकार आदि से सहायता दान,चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना ।

५१: विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अर्न्तराष्ट्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना अथवा संचालित करने का प्रयास करना ।

५२: मेड़बन्दी, भूमिसमतलीकरण एवं अन्य कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देना, तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

५३: दलहनी, तिलहनी व अन्य सभी फसलों के सुरक्षा हेतु कटीले बाड़ों से खेत को चारो तरफ से घेरवाने का प्रयास करना ।

५४: सिंचाई संसाधन का विकास करना, तथा वर्षा के जल को एकत्रित करने हेतु किसानो को जागरूक करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466235

५५: सिक्योरिटी गार्डों को प्रशिक्षण देना, तथा सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड,डंडा मैन,गन मैन,लेबर,कर्मचारी,आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

५६: पशु चिकित्सालयों व पशु सेवा सदनों, गोशाला आदि की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

५७: मुस्लिम समुदाय कें विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा २९ व ३० के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालय,महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास करना ।

५८: मुस्लिम माइनारिटी के नियमों का पालन करते हुए मदरसों,मकतबों, तहतानियां, फौकानियॅा,आलिया,हाफिज,कारी,मुन्शी,मौलवी,कामिल, आलिम,फाजिल, मुफ्ती,निश्वां मदरसों तथा उच्चॅ स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

५९: परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध बीहड़ एंव बंजर (कृषि एवं अकृष्य भूमि)अनुपजाऊ/कम उपजाऊ भूमि कों भूमि सैनिको/लाभार्थी कृषकों द्वारा सुधार करना ।

६०: ऊसर, बीहड़ एवं बंजर भूमि को सुधार कर कृषि उत्पादन योग्य बनाना ।

६१: फसल उत्पादकता मे बृद्धि हेतु कृषि बागवानी एवं कृषि वानिकी से सम्बन्धित कार्य करना ।

६२: जल भराव क्षेत्रों का उपचार कर फसलोउत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि को प्रोत्साहित करना ।

सत्य प्रकाश त्रिवादी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -१३- 40AA 466236

६३: किसानों की माली हालत सुधारने का प्रयास करना तथा मूल्यवान पौधे यथा शागौन , शाखू, शीशम आदि का रोपण करवाना एवं उसकी खरीद-फरोख्त करना ।

६४: अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,दलित,कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे लघु एवं सीमान्त कृषकों,भूमिहीनों,मजदूरों एवं ग्रामीण दस्तकारों को स्वःरोजगार में लगाने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का प्रयास करना ।

६५: जल संरक्षण,जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयज़ल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

६६: भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के नियमानुसार कार्य करना ।

६७: गो सेवा की मान्यता के अनुसार कार्य करना तथा जीव जन्तु हेतु समस्त प्रकार के कार्य करना ।

६८: जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ योजनाओं हेतु आवेदन करना तथा सहायता प्राप्त कर उन्हें भौतिक रूप से क्षेत्र में लागू करना तथा जीव जन्तुओं की रक्षा करने का प्रयास करना ।

६९: चयनित क्षेत्र के कृषको को भूमि सैनिक के रूप में चयन करना तथा भूमि सैनिकों को एक सुसंगठित क्रियाशील समूह के रूप में गठित करना ।

७०: कृषि के उन्नतिशील का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देकर भूमि एवं जल संरक्षण उद्यानीकरण/कृषि वानिकी आदि कार्यो को अपनाकर आय में वृद्धि करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466237

७१. जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनिय १९६० के अनुसार कार्य करना तथा आवारा, बेसहरा, लाचार पशुओं को एकत्रित कर उनके चारा व दवा इलाज की व्यवस्था करना तथा उन्हें आश्रय देने का प्रयास करना ।

७२. जीव - जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना ।

७३. हिन्दी सहित अन्य भाषाओं के विकास के लिए संस्था द्वारा प्रचार-प्रसार करना।

७४. कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले ग्रामीणों के आर्थिक,नैतिक व सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास करना ।

७५. गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर,आपसी सहयोग एवं एकता लाने का प्रयास करना तथा सामान्यतया खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा विकास करना ।

७६. खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आनुवांशिक/प्रारम्भिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना, तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक व आध्यात्मिक पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन एवं संचालन करना व समय-समय पर जनहित के लिए व पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ/हवन करना व करवाना तथा राष्ट्रहित एवं विश्वहित के लिए अलग-अलग संगठनों का निर्माण करना एवं इन्हें संचालित करना ।

७७. परियोजना क्षेत्र के भूमिहीन खेतिहर भूमि सैनिकों को कार्य हेतु भूमि का आंवटन कराकर खेती योग्य बनाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AQAA 466238

७८: किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों आयोग/अथवा राज्य मण्डल,और अथवा संस्था/और/अथवा/संघ/राज्य सरकार से चन्दा,दान,अनुदान,वसीयत,डोनेशन,उपहार और धरोहरों आदि को प्राप्त अथवा स्वीकार करना ।

७९: ट्रस्ट द्वारा अपने सभी अथवा किन्हीं उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी भूमि,भवन,सूबाधारी,तथा बल और/अथवा अचल सम्पत्ति और किसी सम्पदा अथवा हित को दान, क्रय-विनिमय, किराये या पट्टे द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी तरह से अर्जित करना ।

८०: मकानों, संरचनाओं अथवा भवनों को बनाना, निर्माण तथा रख-रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमे हेर-फेर,विस्तार,सुधार,मरम्मत,परिवर्तित अथवा किंचित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश,नाली,पानी,फर्नीचरों,जूड़नारों,यंत्रों, उपकरणों,संधित्रों से सुसज्जित और प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया या धारित है, उपयोग के लिए अन्य अवश्यकताओं की व्यवस्था करना ।

८१: ट्रस्ट से सम्बन्धित जो भी परिसम्पत्तियॉ (चल एवं अचल) होगी, का क्रय विक्रय, प्रबन्धन, हस्तान्तरण,विनियम,बंधक,डिमाइस,पट्टा अथवा किराये पर देना निष्पादन अथवा सम्पत्ति के विषय में अन्यथा संव्यवहार करना ।

८२: ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी अथवा किसी चल या अचल परिसम्पत्तियों पर जमानत रहित/या सहित अथवा बंधक प्रभार, भाराक्रान्ति या गिरवी रखना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -१६- 40AA 466239

८३: ट्रस्ट की सभी अथवा किन्ही उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए शाखाएँ खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना ।

८४: ट्रस्ट की किसी भी गतिविधियों की उपलब्धि के लिए प्रशासनिक अथवा नेतृत्व सम्बन्धित सभी कानून समस्त कार्य तथा उसके लिए आवश्यक खर्च करना ।

८५: ट्रस्ट के लाभ का उपयोग ट्रस्ट के लक्ष्यों को पूरा करने में किया जायेगा ।

८६: केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ,उ० प्र० खादी कमीशन के पैटर्नानुसार खादी वस्त्रो एवं खादी कच्चे धागों का निर्माण करना तथा इसके लिए लधु उद्योगो की स्थापना व संचालन करके वेरोजगार लोगो को वस्त्र बनाने व वेचने का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

८७: खादी का प्रचार-प्रसार करना तथा इसके निमित्त लघु उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करना तथा खादी ग्रामोद्योग,खादीकमीशन,केन्द्रीय खादी बोर्ड से ऋण,अनुदान,दान,चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसका उपयोग संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना ।

८८: केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्था विकास मे कार्य करना ।

८९: ट्रस्ट के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए मुख्यट्रस्टी/न्यासकर्ता अपने पद नाम से बैंक/बैंकों में खाता/खाते खोलना तथा लेन-देन अथवा जैसी भी आवश्यकता जो बैंक/बैंकों के साथ किसी भी तरीके से संव्यवहार करना ।

९०: निर्धन एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर उठाने का प्रयास करना ।

९१: कार्यक्षेत्र के निवासियों विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के सर्वागीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना

९२: क्षेत्र के लोगो के जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु उद्योग तथा सेवाओं की विकास की योजनाये बनाना तथा कार्यक्रम चलाना

सत्य प्रकाश तिवारी

६३: क्षेत्र के समग्र विकास के [illegible] खान प्रशासन बोर्ड, कमीशन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रविलियों एवं पैत्तन की [illegible] की नीतियों को अपनाना व विकास की योजना [illegible] के प्रसार-प्रचार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

उत्तर प्रदेश [illegible] 40AA 466240

६४: मत्स्य पालन हेतु सस्ती दरों पर सप्लाई करने का प्रयास करना ।

६५: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत तालाबों,पोखरों, नदियों आदि का सफाई करने प्रयास करना ।

६६: मत्स्य पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना तथा इस निमित्त व्यवसायियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना ।

६७: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तालाबों व पोखरों की साफ-सफाई व जीर्णोद्धार से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करने का प्रयास करना ।

६८: मत्स्य पालकों में उत्पन्न आपसी विवाद को सद्भाव पूर्वक हल करने का प्रयास करना

६९: मत्स्य बीज का उत्पादन करना व मत्स्य पालकों में निःशुल्क वितरण करना ।

१००: मत्स्य विकास में चलाई जा रही सभी योजनाओं का संचालन करने का प्रयास करना

१०१: समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी०एड०,एम०एड०, बी०पी०एड०, बी०एल०एड०, सी०पी०एड०, बी०टी०सी०, यू०टी०सी०,एल०एल०बी०,डी०एल०एड०,पैरामेडिकल आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१०२: उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा जनसेवा केन्द्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों, तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

१०३: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत सी०बी०एस०ई० विद्यालयों,आई०सी०एस०ई० विद्यालयों, आदि की स्थापना व संचालन करना तथा इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्व विद्यालय,राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालय आदि से सम्बद्धता प्राप्त कर विभिन्न विद्यालयों की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना ।

१०४: पैरामेडिकल कालेज के अर्न्तगत नर्सिंगहोमों,अस्पतालों,फार्मेसी,पैथालाजी,रेडियोलाजी, फिजियोथेरैपी, ऑप्टोमिर्टी, नर्स,आदि प्रशिक्षण केन्द्रों तथा एलोपैथिक, होम्योपैथिक,आयुर्वैदिक, यूनानी आदि मेड़िकल कालेजों व इंजीनियरिंग कालेजों, विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

१०५: गो पालन एवं पशुपालन के माध्यम से भारत राष्ट् को सुखी समृद्धिशाली सशक्त तथा सम्पन्न बनाने का प्रयास करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -१८- 40AA 466241

१०६: गोबंश एवं कृषि के उपयोगी पशुधन को वध से बचाने का प्रयास करना ।

१०७: सम्पूर्ण गोबंश को कसाईयों एवं गोबंश तस्करी से छुड़ाने का प्रयास करना ।

१०८: तस्करों एवं कसाईयों से छुड़ाये गये गोबंश एवं पशुधन को अपने अभिरक्षा में लेकर उनका भरण-पोषण एवं सेवा करने का प्रयास करना ।

१०९: गोबंश से सभी सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी करना तथा तस्करों को कठोरतम दण्ड दिलाने का प्रयास करना ।

११०: गोबंश विकास योजना के माध्यम से बेकारी समस्या का निदान करना,जिसमें महिला दुग्ध उत्पादक योजना भी समाहित करने का प्रयास करना ।

१११: पंच गव्य (गाय का दूध ,दहीं गोमूत्र,गोबर,गोधृत) से सभी प्रकार की औषधियों का निर्माण करना तथा गोबर से अगरबत्ती,साबुन,दंत मंजन, पाउडर आदि का निर्माण करने की सही व उचित राय देने का प्रयास करना ।

११२: उत्तम जाति के साड़ों के माध्यम से गोबंश विकास करके अधिक दूध देने वाली जाति की संतानों को उत्पन्न करने का प्रयास करना ।

११३: गोमॉस एवं मॉस निर्यात पर विशेष ध्यान देकर मॉस निर्यात रोकने का हर प्रकार से प्रयास करना

११४: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आई०टी०आई०, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों, आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

११५: पर्यावरण पारिस्थितकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों को संचालित करना व करवाना तथा ग्रीन इण्डिया एंव ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जनजागरूकता फैलाने का प्रयास करना ।

११६: दूरस्थ शिक्षा का प्रबन्ध करना एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर शिक्षा के विकास हेतु कार्य करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466242

११७: समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने व करवाने का प्रयास करना ।

११८: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना ।

११९: बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हे स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना

१२०: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत चल रहें मलेरिया, काला आजार ,डेगू बुखार, चिकन गुनिया, जापानी इनसेफलाइटिस,फाइलेरिया,क्षय रोग,रजित रोग,राष्ट्रीय कार्यक्रम,राष्ट्रीय संचारी रोग, निगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी०बी०,चेचक,गिनी कृमि,याज आदि के उन्मूलन एवं नियत्रंण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों कोप्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना ।

१२१: ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लागों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना तथा गरीब,असहाय, लोगों को भोजन,चिकित्सा,आवास,वस्त्रादि निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करना ।

१२२: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत बौद्ध बिहार स्थापना व संचालन करना तथा पुराने बौद्ध बिहारों की देख-भाल,सुरक्षा तथा जीर्णाद्धार आदि से सम्बन्धित हर प्रकार कार्य करना ।

१२३: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अयोजन एवं संचालन करके उनके कृतियों का समाज में प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करना तथा बौद्ध बिहार आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना ।

१२४: अम्बेडकर जयन्ती,कांशीराम जयन्ती,संत रविदास जयन्ती आदि समारोह विशेषकर वार्षिक श्रृगांर आदि को धूम-धाम से मनाने हेतु कार्यक्रमों का अयोजन एवं संचालन करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -२०- 40AA 466243

१२५: सरकारी कर्मचारियों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी, देशी एवं विदेशी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना एवं उनकी की सुविधाओं को समिति के माध्यम से दिलाने का प्रयास करना ।

१२६: सरकारी कर्मचारियों,अधिकारियों तथा विदेशों में कार्यरत लोगों के उपर हो रहे अनैतिक अत्याचारों के विरूद्ध आवाज उठाना तथा उन्हें एक जुट कर उनकी मांगों को लेकर उस देश के सरकार के समक्ष स्वयं अथवा कोर्ट के माध्यम से अपना विचार प्रकट करना ।

१२७: मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना तथा किसानों को मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना ।

१२८: कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा नये कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

१२९: हरितक्रान्ति योजना को सफल बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्र (डेयरी) की स्थापना व संचालन करना ।

१३०: मेड़बन्दी, भूमिसमतलीकरण एवं अन्य कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देना, तथा उससे सम्बन्धित योजनाओं का आयोजन एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AMA 466244

समाज को भ्रमित करने वालों या समाज में भ्रम फैलाने वालों को विधिक एवं कानूनी दण्ड दिलाने का प्रयास करना ।

१३२. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, हरिजन कल्याण,बाल कल्याण,महिला कल्याण आदि विभिन्न विभागों द्वारा जारी जनकल्याणकारी योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना ।

१३३. माल,लेवर व कर्मचारी आदि की सप्लाई करना, पायलेट प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना तथा सीमेन्ट ईट का निर्माण,मिट्टी ईट का निर्माण, पेट्रोल पंप आदि की स्थापना व संचालन करना ।

१३४. बालू खदान, मार्बल खदान, पत्थर खदान, लोहा खदान, कोयला खदान, तालाब खदान आदि विभिन्न प्रकार के खनिज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना ।

१३५. शेयर बाजार के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना, तथा इस निमित्त पत्र,पत्रिकाओं, अखबारों व अन्य दैनिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करने का प्रयास करना ।

१३६. ट्रस्टहित में भविष्य में प्राप्त ट्रस्ट की सम्पत्ति यथा भूमि, भवन का क्रय-विक्रय (बेचना व खरीदना) बन्धक, एग्रीमेन्ट, पट्टे, तथा भाड़े आदि पर देना एवं बैंक में ट्रस्ट की कोई भी सम्पत्ति मार्गेज करवाना,लोन लेना; ट्रस्ट के विकास के लिए एन०आर०आई० एवं एन०आर०ओ० खाता खुलवाना तथा विदेश से प्राप्त धन को जनहित व ट्रस्टहित में व्यय करने का प्रयास करना ।

१३७. मरणोपरान्त अंगदान के इच्छुक व्यक्ति से अंग प्राप्त कर उसे जरूरत मंदो को प्रदान करने का प्रयास करना तथा ब्लड बैंक का संचालन करना ।

१३८. मानव जाति में सत् प्रेम भक्ति रसधारा के माध्यम से दया, करूणा, प्रेम व मैत्री की भावना जागृत करने का प्रयास करना ।

१३९. वर्तमान भौतिक युग में बढ़ती विषमता व अलगाव वाद को दूर करने का प्रयास करना तथा मानव को प्रेम के द्वारा अपने परिवार व समाज से जोड़ने का प्रयास करना ।

१४०. सत् प्रेम के द्वारा पूर्व मानव सुधार हेतु कार्य करना तथा सत् प्रेम, योग, ध्यान, समाधि आदि द्वारा आत्म जागरण एवं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को प्रदर्शित करने का प्रयास करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466245

१४१: योग, आयुर्वेदिक,प्राकृतिक, होम्योपैथिक आदि पद्धति द्वारा लोगों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से निरोग करने का प्रयास करना, तथा इस निमित्त मेडिकल कालेजों आदि की स्थापना व सचांलन करने का प्रयास करना ।

१४२: इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, दूरदर्शन,टेलीवीजन,आकाशवाणी, दूरभाष केन्द्रो आदि की स्थापना व संचालन करना, तथा समाचार पत्र-पत्रिकाओं, साप्ताहिक पत्रिकाओं, मासिक पत्रिकाओं, त्रैमासिक पत्रिकाओं की स्थापना, प्रकाशन, मुद्रण व संचालन करने का प्रयास करना ।

१४३: युवाओं में खेलों के प्रति उनके अन्दर जागरूकता पैदा करने का प्रयास ।

१४४: ग्रामीण व पिछड़े इलाके से कुशल खिलाड़ियों का चयन करना तथा उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देने का प्रयास करना ।

१४५: कुशल खिलाड़ियों के लिए अनुभवी कोचों की व्यवस्था करना तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के खेलों का हर सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

१४६: भारत सरकार,प्रदेश सरकार,जिला,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर युवाओ के विकास हेतु चलायी जा रही विशेष खेल योजनाओं को क्रियान्वित करना ।

१४७: युवाओं के हितों की रक्षा हेतु कार्य करना तथा उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही खेल से सम्बन्धित हर योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास करना ।

१४८: युवाओं को शिक्षित-प्रशिक्षित कर स्वंरोजगार में स्थापित कराने का प्रयास करना ।

१४९: युवाओं को एकत्र कर उनकी संगोष्ठियॉ,विचारगोष्ठियॉ कराना तथा उनके विचारों को आदान-प्रदान करने का प्रयास करना ।

१५०: बालक/बालिकाओ,खिलाड़ियों के शारीरिक ,बौद्धिक ,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमीनारों ,गोष्ठियों,प्रदर्शनियो आदि का आयोजन,संचालन करना तथा सफल बालक/बालिकाओ,को पुरस्कृत करने का प्रयास करना ।

सत्य प्रकाश तिवारी

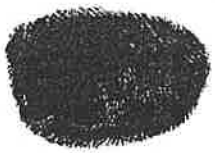

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466246

१५१: गाँवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों,जनजागरूकता कार्यक्रमों,प्रर्दशनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना ।

१५२: विभिन्न प्रकार के खेलों का विकास करना तथा इस निमित्त निःशुल्क प्रशिक्षिण केन्दों की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

१५३: किसानों को कृषि विकास से सम्बन्धित जानकारी देना तथा उनके लिए समय-समय पर किसान सेमीनारों, विचार गोष्ठियों,प्रदशर्नियो वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, किसान मेलों आदि का आयोजन,संचालन करना सफल किसानों को पुरस्कृत करने का प्रयास करना ।

१५४: किसानों के विकास में आने वाली कृषि समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना ।

१५५: मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना तथा किसानो मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना ।

१५६: ट्रस्टहित में जमीन का क्रय-विक्रय करने का प्रयास करना तथा ब्लैक पाटरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कार्य करना ।

१५७: गैर सरकारी संगठन (N.G.O.) राजकीय, राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना

१५८: किसी समिति, संस्था, ट्रस्ट द्वारा उसके आग्रह करने पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं आदि को अपने न्यास में विलय करना एवं उनके ट्रस्ट/संस्था को अपने ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466247

प्रारम्भिक उपबन्ध :-

१: वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनॉक ३०-११-२०१६ से श्री सत्यप्रकाश तिवारी जो न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है, को इस ट्रस्ट डीड का मैनेजिंग ट्रस्टी यानी प्रबन्धक स्वीकृत किया जाता है ।

२: यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक श्री सत्यप्रकाश तिवारी द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित किया जाय तो उनके पश्चात उनके योग्य पुत्र/पुत्री जो कि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें । यदि उनके योग्य पुत्र/पुत्री बालिग न हो तो उनकी पत्नी इस ट्रस्ट की तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक होंगी जब तक उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय ।

३: वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहे, अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियों या किसी को स्थानान्तरित कर सकता है

४: यदि श्री सत्यप्रकाश तिवारी के निधन के समय उनके बच्चे नाबालिग हो तो उनकी ओर से उनकी पत्नी को मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्य तब तक सम्भालना होगा जब तक कि उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466248

५: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को चाहिए कि अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें यदि ट्रस्ट में किसी भी विन्दु का संशोधन करना है तो इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्टाम्प पर उक्त संशोधन टंकित कर रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वयं उपस्थित होकर संशोधन कराने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक को होगा तथा ट्रस्टी /प्रबन्धक को यह भी अधिकार होगा कि वह स्टाम्प पेपर पर प्रबन्ध समिति का गठन कर उसे रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्ट्री करा लें । इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गयी रजिस्ट्री/वसीयत ही अन्तिम रूप से मान्य होगी ।

६: यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा ।

७: कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466249

बोर्ड आफ ट्रस्टीज

१: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो नियमों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है । जो इण्टरमीडिएट एजूकेशनल ऐक्ट के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, उपप्रबन्धक/उपसचिव, कोषाध्यक्ष सात सदस्य व तीन पदेन सदस्य होगें जिनकी कुल संख्या १५ होगी

२: बोर्ड आफ ट्रस्टीज के गठन हेतु इच्छुक व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के पास रूपया १०,०००/- सदस्यता शुल्क जमा कर बोर्ड आफ ट्रस्टीज बन सकता हे परन्तु उनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा ,जिसे किसी भी समय बिना कोई सूचना दिये मैनेजिंग ट्रस्टी /प्रबन्धक समाप्त कर सकता है जिसके खिलाफ कोई वाद किसी भी माननीय न्यायालय स्तर पर दायर नही किया जा सकता है। सदस्यता नवीनीनकरण के समय मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने विवेकानुसार सदस्यता शुल्क बढ़ा/घटा सकता है ।

३: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी का कार्य-अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक की इच्छा पर निर्भर करेगा, तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी ट्रस्टी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये उसका ट्रस्टी का पद समाप्त कर सकता है ।

४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक बुला सकता है । जिसकी अध्यक्षता स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ही करेगा ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH -२७- 40AA 466250

५: बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा, तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

६: बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना, पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य व अन्तिम निर्णय होगा ।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्यकाल एवं सुविधायें :-

१: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं यहाँ की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इन सुविधाओं के स्तर पर सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा ।

२: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आय कर लगाता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आय कर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।

३: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने पद पर आजीवन बना रह सकता है । उसके न रहने पर मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक से ब्लड (खून) का रिस्ता रखने वाला ही मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक होगा ।

४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जब भी चाहे व ट्रस्ट का नाम व पता परिवर्तित कर सकता है ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466251

कार्यक्षेत्र

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष सहित सम्पूर्ण विश्व होगा । सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं उपहार,अनुदान, दान,चन्दा,ऋण,उपहार, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकता है अथवा आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता (डोनेशन) व सलाह दे सकता है ।

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का विशेषाधिकार :-

१: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत, संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशानिर्देश दे सकता है,जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार्य होगा ।

२: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है ।

३: ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्रय-विक्रय (बेचने व खरीदने) का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव ,उपप्रबन्धक/उपसचिव ,कोषाध्यक्ष सहित सात सदस्य व तीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार

१: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के लिए प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देख- भाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए उक्त पदों की नियुक्ति कर सकता है ।

२: उक्त पदों के वेतन भत्ते,सुविधायें, कार्यनियम मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक निश्चित करेगा ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466252

उक्त व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अनुग्रह तथा प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक, अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है ,अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है, जिसके विरूद्ध किसी भी पदाधिकारी/सदस्य/कर्मचारी को किसी भी न्यायालय कोई वाद दायर करने का अधिकार नही होगा ।

८: उक्त पदों के सृजन हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक उंचित समझें तो स्टैम्प पेपर पर उक्त लोगों के नाम, पिता/पति का नाम, पता व पद को टंकित कर रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्ट्री कर सुनिश्तिच कर सकते है ।

९: इण्टर मीडिएट एजूकेशनल ऐक्ट के अनुसार मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो अपने विवेकानुसार एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव एक कोषाध्यक्ष सहित सात सदस्य व तीन पदेन सदस्यों का पद सृजन कर सकता है । इनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा, लेकिन ट्रस्टी प्रबन्धक जब भी चाहे अथवा एक वर्ष बाद इनके कार्यो से सन्तुष्ट हो तो इन्हें पुनः उसी पद रख सकता है अथवा असन्तुष्ट होने पर उनको उक्त पद से जब भी चाहें हटा सकता है ।

१०: उक्त निष्कासन के बाद किसी भी सदस्य/पदाधिकारी को किसी भी माननीय न्यायालय स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर नही कर सकता है । मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का निर्णय ही मान्य होगा ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466253

-३०-

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य

१: बोर्ड आफ ट्रस्टी के बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।

२: ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करना ।

३: ट्रस्ट के अर्न्तगत उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली मे संशोधन/परिवर्तन करके रजिस्टार के यहॉ रजिस्ट्रीकृत कराना एवं उसे मान्य करवाना,तथा आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति का क्रय-विक्रय करना ।

४: ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय व कार्यवाही करना ।

५: ट्रस्ट के अर्न्तगत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियत्रंण रखना

६: ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्ति तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना ।

७: विभिन्न कार्यकलापों एवं उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोषों/विभागों/ केन्दों/ संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन करना उनके संयोजकों/निवेशकों पदाधिकारियों
आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना ।

८: ट्रस्ट को प्राप्त किसी भी शिकायत पत्र की जॉच कर निर्णय देना ।

९०: एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना ।

११: ट्रस्ट के प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466254

:- खाता संचालन की व्यवस्था -:

१: ट्रस्ट का खाता किसी बैक, वित्तीय संस्था अथवा पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खोला जायेगा । जिसका संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

२: ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय का पृथक-पृथक नाम से बैंक खाता संचालित किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में स्वयं मैनेजिग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही खाते का संचालन किया जायेगा ।

विधिक कार्यवाही

ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही जनपद-आजमगढ़ के न्यायालय में ही की जायेगी । मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति से अधिवक्ता नियुक्ति होगा एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं अथवा ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी/सदस्य द्वारा किया जायेगा ।

भविष्य में प्राप्त सम्पत्ति सम्बन्धित :-

१: ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्टी वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक व्यक्ति को प्राप्त होते है ।

२: ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख-विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466255

३: ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतः समर्थ एवं अधिकृत होगा ।

४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति का क्रय-विकय पट्टा कर सकता है, अथवा रेहन रख सकता है या किराये पर दे अथवा ले सकता हैं ।

५: ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति,प्रतिष्ठान,संस्था,राज्य सरकार,केन्द्र सरकार अथवा विदेशी सरकार से ऋण, दान, अनुदान,उपहार, चन्दा,आग्रह, भेट,सम्मान पुरस्कार,स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त व प्रदान कर सकता है ।

६: ट्रस्ट अपनी आय को कहीं भी विनियोजित कर सकता है , सुरक्षित कर सकता है । किसी भी संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में अपनी आय को विनियोजित कर सकता है ।

७: चल /अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भाराक्रान्ति विनियोजित आदि कर सकता है, तथा ले अथवा दे सकता है

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466256

अतिरिक्त नियमों का समावेश :-

(अतिरिक्त नियमों का समावेश) निम्नलिखित नियमों का समावेश ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु किया गया है ।

क: विद्यालय के पंजीकृत ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन होगा ।

ख: विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा ।

ग: विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति /अनुसूचितजन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

घ: ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार से हर प्रकार के अनुदान की मॉग की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से ही सी०बी०एस०ई० विद्यालय का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

सत्य प्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466257

ड़: ट्रस्ट के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें ।

च: कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निबृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

छ: राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे ट्रस्ट उनका पालन करेगा ।

ज: विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

झ: उपरोक्त शासन के नियम/प्रतिबन्ध क्र०सं० क से ज तक हमें स्वीकार है । उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन नही किया जायेगा ।

:- विशेष -:

१: इस ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक-पृथक रूप से कमेटियों का गठन किया जायेगा ।

सत्य प्रकाश त्रिवारी

पृष्ठ विलेख 52

अशोक कुमार राय
ला0 नं0-141
उनि0 कार्यालय,सदर-आजमगढ

आवेदन सं०: 201900966011578

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 155 वर्ष: 2019

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 180 योग : 680

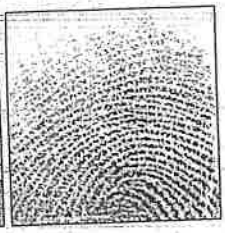

श्री सत्यप्रकाश तिवारी सत्य प्रकाश तिवारी
पुत्र श्री स्व० सूर्यनरायन तिवारी
व्यवसाय : अन्य
निवासी: मु० सिधारी पश्चिमी पो० व तह० सदर, आजमगढ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 09/12/2019 एवं 03:39:41 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पवन कुमार पाण्डेय
उप निबंधक :सदर
आजमगढ़
09/12/2019

खुमार मोहम्मद हूद
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

09-12-2019, 1

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466258

२: नियम/उपनियम आदि बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट के उद्देश्य व निमयावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो वह नियम/उपनियम,अतिक्रमण की सीमा तक शून्य है ।

३: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो किसी भी परिस्थिति में इस ट्रस्ट / डीड के किसी प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं, तथा प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकता है । इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी । इस धारा के अर्न्तगत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी । ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित सभी उददेश्यों एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित,घोषित, पारित,आत्मसमर्पित है तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर संचालित करने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर बना दिये है ।

सत्य प्रकाश त्रिवाटी

ष्ट विलेख 58,59

अशोक कुमार राय
ला0 नं0-141
उपनि0 कार्यालय सदर-आजमगढ़

आवेदन सं०: 201900966011578

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 155 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: ।

श्री सत्यप्रकाश तिवारी, पुत्र श्री स्व० सूर्यनरायन तिवारी

निवासी: मु० शिधारी पश्चिमी पो० व तहं० सदर, आजमगढ

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता : ।

श्री योगेश्वर जायसवाल, पुत्र श्री हीरालाल

निवासी: सा० म०नं० 312 बदरका शहर व जिला आजमगढ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री संजय कुमार राय, पुत्र श्री कैलाशनाथ राय

निवासी: सा० कोहडी बुजुर्ग पो० बिन्दवल, तहं० सगडी, आजमगढ

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पवन कुमार पाण्डेय
उप निबंधक : सदर
आजमगढ

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

खुमार मोहम्मद हूद
निबंधक लिपिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 40AA 466259

विघटन की कार्यवाही :- ट्रस्ट के विघटित/विघटन की कार्यवाही ट्रस्ट ऐक्ट १८८२ के सुसंगत धारा के अर्न्तगत की जायेगी ।

दिनॉक

हस्ताक्षर गवाह

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक
का हस्ताक्षर
सत्य प्रकाश तिवारी

१: श्री योगेश्वर जायसवाल S/o
श्री हीरालाल जायसवाल
सु० अदरका, थाना कोतवाली
जनपद आजमगढ़

२: श्री सत्य कुमार राय
S/o कैलाश नाथ राय
ग्रा० कोइली बुजुर्ग पो०नि-दबले
तह०लि-सगड़ी .. आजमगढ़

लेखपत्र तैयारकर्ता/टाइपकर्ता
चन्द्रकान्त तिवारी
व० नं० सदर
आजमगढ़

(किशोरी यादव)
प्राइवेट टाइपिस्ट दीवानी कचहरी
आजमगढ़ ।

23-11-2019

अशोक कुमार राय
ला0 नं0-141
उ0नि0 कार्यालय,सदर-आजमगढ़

आवेदन सं०: 201900966011578

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 197 के पृष्ठ 289 से 360 तक क्रमांक 155 पर दिनाँक 09/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वंदन कुमार पाण्डेय
उप निबंधक : सदर
आजमगढ़
09/12/2019

प्रिंट करें